न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 26/2024 (अपील)

जी.सी.एम.एस. नं. – 2024/84

उनवान

शकुन्तला पुत्री देवीलाल पत्नि श्री लटूरलाल जाति राव निवासी कनवास हाल मुकाम तालेडा जिला बून्दी राज0।

(अपीलान्ट)

बनाम

1. गोविन्दलाल आत्मज देवीलाल जाति कनवास तहसील कनवास जिला कोटा।
2. गीताबाई पत्नी श्रवण कुमार
3. नन्द बिहारी आत्मज श्रवण कुमार
4. पप्पूलाल आत्मज श्रवण कुमार
5. मृतक बंटी आत्मज श्रवण कुमार (नाम डिलीट)
6. ममता पुत्री श्रवण कुमार
7. प्रियंका पुत्र श्रवण कुमार जाति राव निवासी कनवास तहसील कनवास।
8. राजस्थान सरकार तहसीलदार कनवास

(रेस्पोडेन्ट्)

उपस्थित :– अभिभाषक श्री एस.एस.यादव ,(अपीलान्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरूद्व इंतकाल नं. 1073 दिनांक 6.6.1992 न्यायालय तहसीलदार कनवास

निर्णय दिनांकः– 10/4/26

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पिता देवीलाल आ0 भवरलाल कौम राव निवासी कनवास के खाते की आराजी खसरा नम्बर 1420/2338 रकबा 11 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1112 रकबा 0.20 है0 ख.न. 1122 रकबा 1. 23 है. ख.न. 1123 रकबा 0.35 है. वाके ग्राम कनवास तहसील कनवास जिला कोटा मे दर्ज है। खातेदार देवीलाल आ0भवरलाल का देहान्त 1990 में हो चुका था। मृतक खातेदार के श्रवण कुमार गोविन्दलाल पुत्र एवं शकुन्तला पुत्री बेवा पाना बाई जीवित उत्तराधिकारी थें। श्रवणकुमार व पानाबाई का देहान्त हो चुका है। श्रवणकुमार के रेस्पो0कम 2 लगायत 7 उत्तराधिकारी है। खातेदार देवीलाल जी का देहान्त हो जाने के उपरान्त अपीलान्ट के सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये फोती इंतकाल नं.

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

1073 दिनांक 6.6.1992 को तहसीलदार कनवास ने खोला है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

खातेदार के अपीलान्ट पुत्री भी उत्तराधिकारी थी। अपीलान्ट का नाम सजरा रिपोर्ट में दर्ज नही किया और रेस्पोडेन्ट के नाम इंतकाल बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये खोला गया है। अपीलान्ट मृतक खातेदार की जायन्ता पुत्री है जिसके नाम भी इंतकाल खोलकर भूमि खाते दर्ज की जानी चाहिए थी। इंतकाल अवैध एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलान्ट पढी लिखी नही है,जिसको इंतकाल का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 6.05.2024 को पटवार मण्डल कनवास के द्वारा भूमि के संबध में अपीलान्ट का नाम दर्ज न होने के बारे मे बताने पर हुआ। इंतकाल की नकल जिला रेकार्ड कोटा से मिलने पर अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर अविलम्ब प्रस्तुत है।

अतः अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश इंतकाल न. 1073 दिनांक 6.6.1992 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के नाम भी इंतकाल खोला जाकर राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट कम 1 ,3 व 4 स्वंय उपस्थित शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट कम 1,3 व 4 द्वारा लिखित जवाब पेश नही किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त अपील वकील अपीलान्ट द्वारा धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 6.06.1992 के विरूद्व दिनांक 24.07.2024 को प्रस्तुत की गई है जो विलम्ब से प्रस्तुत हुई है। वकील अपीलान्ट द्वारा गैर अपील आदेश की जानकारी नकल प्राप्त होने पर होना जाहिर किया गया है। अतः न्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

पत्रावली में बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अपीलान्ट विवादित आराजी के खातेदार मृतक देवलाल की जायन्दा पुत्री है जिसे विवादित आराजीयात् में अपने हिस्से की आराजी के खाते में नाम दर्ज करवाने की अधिकारी है। वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2024(1)DNJ(Rev.)767 पेश किए।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2073–76 ग्राम कनवास पटवार हलका कनवास तहसील दीगोद मे विवादित आराजी खसरा नम्बर 1112,1122,1123 के कुल रकबा 1.780 है0 भूमि में बतोर खातेदार गोविन्दलाल ,पानाबाई,श्रवणकुमार, दर्ज रेकार्ड है जो कि अपीलान्ट के भाई व माता है। अपीलान्ट की माता पानाबाई के मृत्यु के बाद उक्त आराजी में अपीलान्ट का नाम दर्ज रेकार्ड किया गया इसकी प्रमाणिकता वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी से होती है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के पिता देवलाल के फोती इंतकाल के समय खातेदार के वारिसान कि जॉच किये बगेर इंतकाल तस्दीक किया गया।

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

अतःअपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6.06.1992 अपास्त किया जाकर तहसीलदार कनवास को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि ग्राम कनवास पटवार हलका कनवास तहसील दीगोद मे विवादित आराजी खसरा नम्बर 1112,1122,1123 के कुल रकबा 1.780 है0 भूमि के संबध में पक्षकारान् को सुनवाई/साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10/4/26 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अति. जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा